

2023/745

315  
23

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

कमांक:-भू.अ./2023/

दिनांक:-12/06/2023

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री बोतलाल पिता पृथ्वीराज नि.  
बोरिया प.ह. झमरपुरा के राजस्व ग्राम बोरिया में जमाबन्दी संवत् 2079  
की खाता संख्या 44, 45, 46, 47 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम बोतलाल किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम बोतलाल का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।  
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़  
जिला-चित्तौड़गढ़ (रज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

कमांक:-रीडर/2023/31

दिनांक:-12/6/2023

निमित्त,

पटवार हल्का झमरपुरा

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री बोतलाल पिता पृथ्वीराज  
राजस्व ग्राम बोरिया प.ह. झमरपुरा की खाता संख्या  
जाति/नाम बोतलाल दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री बोतलाल पिता पृथ्वीराज की  
जन्मति/नाम बोतलाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. झमरपुरा राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौड़गढ़ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़